संख्या-17/18/1/2008-का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2015

विषय :- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

" उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015" के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को सम्मिलित किया गया है। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 21.04.2015 के माध्यम से समस्त प्राधिकारियों/ अधिकारियों को शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री की सन्तानों (पुत्र/पुत्री) को आश्रित प्रमाण पत्र किस जनपद द्वारा निर्गत किया जाए अर्थात् जिस जिले का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूल निवासी है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री की संतान जिस जिले में रहती है\ के बिन्दु पर जनपद स्तर पर संशय (Confusion) की स्थिति होने के तथ्य शासन के संज्ञान में आये हैं।

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र उस जनपद द्वारा निर्गत किया जाय जिस जनपद का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूल निवासी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री की सन्तानों के आश्रित प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मूल जनपद के जिलाधिकारी द्वारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री की संतान, जिस जनपद में निवास करती है, उस जनपद के जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त कर, निर्गत किये जायें।

4. कृपया उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

http://sheenadesh.upnic.in

संख्या-17(1) / 18 / 1 / 2008(1)-का-2 / 2015-तददिनांक

उपर्युक्त् की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 1,000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कारने हेतु।
12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in